

पानी के धंधे में चाँदी ही चाँदी!!!

पानी के अवैध दोहन,
बिजली की चोरी, यातायात नियमों की अवहेलना
और कई क़ानूनों के उल्लंघन
का पर्याय बना पानी माफ़िया!!!



भाग-1

राजापार्क और आस-पास के इलाकों में पानी माफ़िया सक्रिय!!!

ट्रैक्टर का लाइसेंस कृषि कार्य के लिए, टैंकर में पानी भरकर कर रहे व्यावसायिक उपयोग

शहर के अवैध बोरिंगों से पानी भर रहे ट्रैक्टर-टैंकर का रजिस्ट्रेशन कृषि कार्यों के लिए होने के बावजूद भी इनका उपयोग व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। इसको लेकर न तो विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही और न ही नियम विरुद्ध दौड़ रहे टैंकर को रोका जा रहा है। हालांकि दो साल पहले परिवहन विभाग ने कलेक्टर के आदेश पर पानी भर रहे टैंकरों पर कार्रवाई की गई थी। इसमें से 5 टैंकर्स का रजिस्ट्रेशन होने पर उन्हें छोड़ा गया, लेकिन 6 टैंकर जब्त किए गए थे, लेकिन परिवहन विभाग के अनुसार शहर के 90 फीसदी टैंकर कृषि कार्यों के लिए पंजीकृत हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते विभाग को महीने में लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विभाग की माने तो कृषि कार्यों के लिए कुल 14 हजार ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पंजीयन किया गया है। वहीं व्यावसायिक कार्य के लिए 158 ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही पंजीकृत हुआ है। शहर में पत्थर, कंकरीट, बजरी, सीमेंट, रेत, लोहे के सरिए, कपड़े की गांठों के अलावा पानी की सप्लाई के लिए परिवहन में अधिकतम कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं।

अधिकांश टैंकर बन रहे हादसे के कारण

व्यवसायिक रूप में उपयोग होने वाले टैंकरों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। टैंकर चालक सड़क पर यातायात नियमों को ताक पर रख तेज आवाज में टेप बजाने, रात में एक हैडलाइट का उपयोग करने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इतना ही नहीं कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के मालिक रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप भी नहीं लगवा रहे हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

व्यवसायिक टैंकरों का फिटनेस कराने में प्रतिवर्ष 1 हजार रुपए का शुल्क, इसलिए कृषि पंजीकृत ट्रैक्टर ही पहुंचा रहे पानी

परिवहन विभाग में कृषि कार्य वाले ट्रैक्टर का पंजीयन कराने के लिए करीब 2300 रुपए खर्च करने होते हैं, जिसमें से 600

रुपए पंजीयन, 1500 रुपए ग्रीन टैक्स, 200 रुपए स्मार्ट कार्ड के हैं। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं आता है। वहीं व्यवसायिक टैंकरों के लिए 3300 रुपए खर्च करने होते हैं, इसमें 1000 रुपए पंजीयन, 1500 रुपए ग्रीन टैक्स, 600 रुपए फिटनेस व 200 रुपए स्मार्ट कार्ड के देने होते हैं। व्यवसायिक टैंकरों के प्रतिवर्ष 1 हजार रुपए फिटनेस के रूप में देना होता है। इसी कारण टैंकर मालिक कृषि पंजीकृत ट्रैक्टर्स का व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं।

300-500 रुपए एक टैंकर की रेट, बहुमंजिला इमारतों में पानी लिफ्टिंग के 1000 से 2000 अतिरिक्त

राजापार्क और इसके आस-पास के इलाकों में सैकड़ों अवैध बिल्डिंगें बन चुकी हैं और कईयों के निर्माण चालू हैं। पानी की किल्लत के चलते इन बिल्डिंगों में स्थित फ्लैटों के निवासियों को तकरीबन रोज पानी के टैंकरों की जरूरत पड़ती है। इस तरह हर पानी माफिया के हर बिल्डिंग में ग्राहक बंधे हुए हैं, जिनसे एक टैंकर के 300-500 रुपए वसूले जाते हैं। जानकारों के अनुसार राजापार्क की बहुमंजिला इमारतों में पानी लिफ्ट कर चढ़ाने के 1000 से 2000 रुपए अतिरिक्त चार्ज वसूले जाते हैं। इसके लिए इन पानी माफियाओं द्वारा फायर विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाली एक मशीन का अनधिकृत उपयोग किया जाता है?

काला पानी अभियान

राजस्थान के अधिकतर जिले जल संकट से जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ पहले ही वर्षा जल की कमी है, वहीं दूसरी और सरकारों की अदुरदर्शिता के कारण रहे सहे भूजल का भी अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। पानी की कमी से जहाँ एक और आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है, वहीं दूसरी और पानी बेचने वालों का माफिया पनप रहा है। जिसमें सरकारी तंत्र पूरी तरह से लिप्त है। यही कारण है कि एक तरफ तो जहाँ सरकारें पानी के प्राचीन स्रोतों का संरक्षण नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी और नए नए प्रोजेक्टों के नाम पर करोड़ों रुपयों लूट मचा रखी है। जलदाय विभाग में आये दिन नये घोटाले उजागर हो रहे हैं, मंत्री से लेकर संत्री तक पानी के नाम पर माल खाए जा रहे हैं। जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है। आम जनता कम प्रेशर, बूस्टर की समस्याओं, टेंकरों की कालाबाजारी से जूझती नजर आती है।

पानी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, लूट को उजागर करने के लिए **“काला पानी”** नाम से जल बचाओं-कल बचाओं अभियान की शुरुआत की गयी है। जिसके माध्यम से सरकार से पानी के नाम पर हो रही गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किये जायेंगे और ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करने के लिए जन अभियान चलाया जाएगा।

इसी क्रम में शुरुआत करते हुए काला पानी अभियान के माध्यम से, अवैध बोरिंग और बिजली की चोरी कर, यातायात नियमों का उल्लंघन कर, पानी की तस्करी करने वाले पानी माफियाओं का खुलासा किया जा रहा है।

जवाब मांगते सवाल?

- कौन है राजापार्क में सक्रिय यह पानी माफिया जो जमीन से पानी का अवैध दोहन कर लाखों रुपए की काली कमाई कर रहे हैं?
- कौन है राजापार्क में सक्रिय यह पानी माफिया जो रोज के 30-40 पानी के टेंकर भरने के लिए हेवी मोटरों का इस्तेमाल करते हैं और, बिजली चोरी कर सरकारी खजाने को हर महीने लाखों रुपयों का चूना लगा रहे हैं?
- कौन है राजापार्क में सक्रिय यह पानी माफिया, जिनके टेंकर चालक सरेआम ट्रेफिक पुलिस को हफ्ता देकर यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं?
- क्या इन पानी माफियाओं के पास जल दोहन करने और उसको व्यवसायिक उपयोग में बेचने का लाइसेंस है?
- क्या इन पानी माफियाओं के बिजली कनेक्शन व्यवसायिक है? यह लोग बिजली चोरी के क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं? क्या इन लोगों की बिजली विभाग के अधिकारियों से भी साँठ गांठ है?
- आखिर क्यों इन माफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा?
- आखिर बार इन टेंकरों का फिटनेस टेस्ट कब करवाया गया है? क्या नियमित रूप से इनका इंश्योरेंस करवाया जाता है?
- पानी लिफ्टिंग के लिए अग्रिशमन विभाग द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली मशीन का उपयोग किसकी अनुमति से इन टेंकरों में किया जाता है?

